सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या : 04/2026

सरकार बनाम अदनान आदि।

<u>दिनांक: 20.05.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त रिजवान अंसारी उपस्थित। अभियुक्त अदनान अंसारी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकृत।

साक्षी पी०डब्लू० 1 निरीक्षक राजपाल तोमर के बयान अंकित किये गये, जिरह पूर्ण हुई। साक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उसका वेतन रोक दिया गया है। वह यातायात निरीक्षक के पद पर है, जिस कारण ट्रैफिक व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण वह साक्ष्य अंकित नहीं करा सका। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अतः प्रार्थी के वेतन भुगतान का आदेश दिया जाए।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आदेश दिनांक 04.04.2026 के आदेशानुसार साक्षी के वेतन भुगतान को स्थगित किया गया था। आज साक्षी की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है। अतः साक्षी के वेतन भुगतान का आहरण का निर्देश दिया जाना उचित दर्शित होता है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर को आदेशित किया जाता है कि साक्षी निरीक्षक राजपाल तोमर के वेतन का नियमानुसार भुगतान/आहरण किया जाए।

पत्रावली दिनांक 18.06.2026 को पेश हो। साक्षी एस.आई. शुभम राठी को समन जारी हो।

आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर को अनुपालन हेतु जरिए ई-मेल प्रेषित की जाये

दिनांक: 20.05.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.05.20 12:05:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court